कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026

□थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ऑटो में सवारी बैठाकर लूट करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□अभियुक्त के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन एवं ₹500 नगद बरामद किया गया।

घटना-
दिनांक 15.08.2026 को वादी महेश पाल पुत्र पारसनाथ पाल निवासी जयरामपुर (छावनी), थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी मुगलसराय स्टेशन से पड़ाव जाने हेतु एक ऑटो में सवार हुए थे। रास्ते में ऑटो चालक एवं उसके साथी द्वारा उन्हें निर्धारित मार्ग से अलग ले जाकर महादेवपुर के पास रिंग रोड पर उनका मोबाइल फोन एवं पर्स में रखे ₹2,500 छीन लिये गये तथा गाली-गलौज करते हुए मौके से फरार हो गये। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-415/2026 धारा 309(4)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा चंधासी-हरिशंकरपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर अभियुक्त कुनाल आलम पुत्र शहजाद आलम निवासी काली महाल, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जें से रियलमी 6i मोबाइल फोन, रंग काला तथा ₹500 नगद बरामद हुए। बरामद मोबाइल फोन को मुकदमा उपरोक्त के वादी के लूटे गये मोबाइल फोन के रूप में पहचान की गयी। अभियुक्त के कब्जे से बरामद ₹500 उसी लूट की धनराशि में से होना बताया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी के साथ दिनांक 15.08.2026 की रात्रि में उसने एक व्यक्ति को ऑटो में बैठाया तथा दोनों उसे सब्जी मंडी, सट्टी एवं छिमिया होते हुए रिंग रोड पर ले गए, जहां दोनों ने मिलकर उक्त व्यक्ति से रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन एवं ₹2,500 रुपये लूट लिया था। उक्त मोबाइल को बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बांटने वाले थे तभी पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त-
कुनाल आलम पुत्र शहजाद आलम निवासी काली महाल, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, उम्र करीब 21 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 415/2026 धारा 309(4)/352/317(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

01 रियलमी 6i मोबाइल फोन, रंग काला, व ₹500 नगद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 सतीश प्रकाश चौकी प्रभारी शिवाला थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 संजय कुमार राय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 राजबहादुर सरोज थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

5.का0 संजय कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

6.का0 अंकुर खरवार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026

□मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान में 350 पाउच (ब्लू लाईम देशी शराब) प्रत्येक 200 ML (कुल 70 लीटर) अनुमानित कीमत लगभग 25000/- रुपयें के साथ 05 अभियुक्ता गिरफ्तार

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अवैध शराब के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.08.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चकिया तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पाँच औरते पुलिस कालोनी के पास एक पेड के नीचे सफेद रंग का झोला लेकर बैठी है जिसमे देशी शराब लिए है जो कही ले जा रही है सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर पाँचो संदिग्ध औरतो को पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्ता ने अपना नाम 1. डोमनी देवी पत्नी स्व० सुभाष चौधरी निवासी सियरुआ टोला थाना सझौली जिला रोहतास बिहार 2. राजमुनी कुँवर पत्नी स्व० सुरेन्द्र चौधरी निवासी वार्ड नं0 34 कुम्हार टोला थाना डेहरी जिला रोहतास बिहार 3. विन्धयाचली कुँवर पत्नी स्व० मोती सेठ निवासी डालमिया नगर थाना डालमिया नगर जिला रोहतास बिहार 4. हिरंगा देवी पत्नी प्रमोद चौधरी निवासी नारायणगढ रंगल टोला थाना पिपरो जिला भोजपुर आरा बिहार 5. सुमन देवी पत्नी चन्द्रदेव निवासी प्रयाग बीघा वार्ड नं0 01 थाना डालमिया नगर जिला रोहतास बिहार अभियुक्तागणो के कब्जे से अलग-अलग सफेद झोलो की तलाशी लेने कुल 350 पाउच (कुल मात्रा 70 लीटर) ब्लू लाईम देशी शराब बरामद की गई।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणो ने बताया कि वे लोग जब शराब ठेका बंद हो जाता है तो हम लोग घूम घूम कर ऊँचे दामो पर बेचते है जो फायदा होता है उसी से अपना जीवन यापन करते है अभियुक्तागणो उपरोक्त को समय करीब 08.47 बजे दिनांक 16.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्ता-
1.डोमनी देवी पत्नी स्व० सुभाष चौधरी निवासी सियरुआ टोला थाना सझौली जिला रोहतास बिहार उम्र 50 वर्ष
2.राजमुनी कुँवर पत्नी स्व० सुरेन्द्र चौधरी नि. वार्ड नं0 34 कुम्हार टोला थाना डेहरी जिला रोहतास बिहार उम्र 50 वर्ष
3.विन्धयाचली कुँवर पत्नी स्व० मोती सेठ नि. डालमिया नगर थाना डालमिया नगर जिला रोहतास बिहार उम्र 50 वर्ष
4.हिरंगा देवी पत्नी प्रमोद चौधरी निवासी नारायणगढ रंगल टोला थाना पिपरो जिला भोजपुर आरा बिहार उम्र 38 वर्ष
5.सुमन देवी पत्नी चन्द्रदेव निवासी प्रयाग बीघा वार्ड नं0 01 थाना डालमिया नगर जिला रोहतास बिहार उम्र 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु०अ०सं०- 420/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी:-

ब्लू लाईम देशी शराब 350 पाउच, जिसकी कुल मात्रा 70 लीटर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।.

2.उ०नि० शिवपूजन बिन्द चौकी प्रभारी रेलवे, थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.हे०का० सुरेन्द्र कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

4.का० अमित यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

5.म०का० प्रियंका प्रजापति थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली